



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271200
CG-DL-E-23032026-271200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1435]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2026/चैत्र 2, 1948

No. 1435]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2026/CHAITRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026

का.आ. 1500(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned 0 किमी से 10.25 किमी (दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (DAK/NE-5) का विस्तार UER-II) तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (DAK/NE-5) का विस्तार UER-II तक की भूमिका अर्जन। (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned)

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला राजस्व अधिकारी, झज्जर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	हरियाणा	झज्जर	बहादुरगढ़	1 जसोर खेड़ी (17) 2 खेड़ी जसोर (18)

		Newly Proposed के कि.मी 0 से कि.मी 10.25 तक				3	निलोठी (19)
						4	कुलासी (30)
						5	आसौदा सिवान (29)
						6	बराही (40)
						7	कानौंदा (33)
						8	खैरपुर (32)
						9	मुकंदपुर (34)
						10	बामनौली (35)
						11	लडरावन (31)

[फा. सं. PIU/NE5/01/01(E-Comp.-267054)]
शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2026

S.O. 1500(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 10.25 of the (NH no. no yet to be assigned) (Extension of Delhi-Amritsar -Katra Expressway (DAK/NE-5) till UER-II) for building (widening / Six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of HARYANA

SCHEDULE

Land acquisition on Extension of Delhi-Amritsar -Katra Expressway (DAK/NE-5) till UER-II in Haryana (NH no. no yet to be assigned)

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District Revenue Officer, Jhajjar	Newly Proposed KM 0 TO KM 10.25	HARYANA	JHAJJAR	Bahadurgarh	1 Jasaur Kheri (17)
						2 Kheri Jasaur (18)
						3 Nilothi (19)
						4 Kulasi(30)
						5 Asaudha Sewan (29)
						6 Barahi (40)
						7 Kanonda (33)
						8 Khairpur (32)
						9 Mukandpur (34)
						10 Bannoli (35)
						11 Ladrawan (31)

[F. No. PIU/NE5/01/01(E-Comp.-267054)]

SHAIKH AMINKHAN, Director